

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक:एफ 13(4)खा.वि./आवंटन/2025-02966

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक

गेहूं आवंटन आदेश माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2026 (अतिरिक्त)
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2026 हेतु पूर्व में जारी आवंटन/संशोधित आवंटन में जिन उचित मूल्य दुकानों पर गबन/एफ.आई.आर. के कारण एस.सी.एम.पोर्टल पर प्रारम्भिक स्टॉक उपलब्ध है, किन्तु भौतिक रूप से गेहूं उपलब्ध नहीं है, उन उचित मूल्य दुकानों को शून्य आवंटन किया गया था। इस क्रम में जिन उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्न के आवंटन की आवश्यकता हो, पर आवंटन किये जाने हेतु एस.सी.एम. पोर्टल पर विकसित मॉडयूल पर कारण मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित जिला रसद अधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त किये गये।

अतः उक्त क्रम में उक्त उचित मूल्य दुकानों को सम्मिलित करते हुए खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी के राशनकार्डधारी लाभार्थियों को निःशुल्क पात्रतानुसार माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2026 हेतु गेहूं का जिलेवार संशोधित उप-आवंटन निम्नानुसार किया जाता है :-

Sr. No.	Months	District	Category wise Net allotment		Final Allotment
			Net NFSA AAY Allotment	Net NFSA PHH Allotment	
1	2	3	4	5	5=4+5
1	September-2026	Baran	0.000	118.220	118.220
2	October-2026		0.000	151.235	151.235

उचित मूल्य दुकानवार उप-आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। आवंटन के संबंध में सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

(सुनील पूनिया)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, उपायुक्त (प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य और आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
9. महाप्रबंधक (क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, नेहरू पलेस, टोंक रोड, जयपुर।
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
11. समस्त जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, खाद्य आपूर्ति निगम, राजस्थान।
12. ए.सी.पी.(खाद्य) / प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश सभी संबंधित से ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।

